न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./101/2023/बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. दुर्गाराम पुत्र चोलाराम, उम्र 73 वर्ष 2. जेतीदेवी पत्नी अचलाराम, उम्र 57 वर्ष 3. हनुमानाराम पुत्र अचलाराम, उम्र 34 वर्ष 4. जगदीश कुमार पुत्र अचलाराम, उम्र 30 वर्ष 5. बालाराम पुत्र अचलाराम, उम्र 26 वर्ष 6. रेखाराम पुत्र अचलाराम, उम्र 22 वर्ष. 7. खरथाराम पुत्र अचलाराम, उम्र20 वर्ष, जाति जाट, निवासी बांकासर(सरली), तह. व जिला बाड़मेर।	1. ईशराराम पुत्र लाखाराम, उम्र 62 वर्ष 2. हनुमानाराम पुत्र गोरधनराम, उम्र 36 वर्ष 3. समदा पत्नी गोरधनराम, उम्र 66 वर्ष, जाति जाट, निवासी बांकासर (सरली), तह. व जिला बाड़मेर। 4. प्रबन्धक, बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड बालोतरा, शाखा बालोतरा 5. श्रीमान तहसीलदार, बाड़मेर ग्रामीण।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 122/2021 बउनवान ईशराराम बनाम हनुमानराम में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2023 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री प्रेम प्रजापत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री वीरमाराम रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—03.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम बांकासर, पटवार हल्का सरली, तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 834 रकबा 00.08 बीघा, खसरा संख्या 1018/835 रकबा 64.15 बीघा कुल रकबा 65.03 बीघा भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर—बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया जिसमें विभाजन प्रस्ताव मौके के अनुरूप तैयार नहीं किया गया था, किन्तु उक्त विवादित विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम बांकासर, पटवार हल्का सरली, तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 834 रकबा 00.08 बीघा, खसरा संख्या 1018/835 रकबा 64.15 बीघा कुल रकबा 65.03 बीघा भूमि आई हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण/रेस्पोडेन्ट व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण संख्या 01 से 09 के की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर–बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड अलग–अलग हिस्से खुले हुऐ हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 01/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किया था। जिस पर तहसीलदार, बाड़मेर ग्रामीण स्वंय द्वारा मौके पर नहीं जाकर अपने अधीनस्थ आर. आई. व हल्का पटवारी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया जो विधि द्वारा बाधित है। प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट/प्रतिवादीगण को बिना सुने

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवा लिया। जिससे वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध समस्त पक्षकारों को सूचित नहीं करने करने से उपजाऊ आराजी केवल रेस्पों. को प्रदान कर दी गई। मौका कमिश्नर नियुक्त होने के बाद भी तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर आकर विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं करवाया गया था। विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया है। जो विधि संगत नहीं है। तहसीलदार, बाड़मेर ग्रामीण को अपने उक्त अधिकार को संबंधित हल्का पटवारी एवं आर. आई. को हस्तातंरित करने का कोई अधिकार नहीं था। विधि द्वारा वाधित विभाजन प्रस्ताव विधि अनुसार रिकार्ड पर लिये जाने योग्य नहीं है। उक्त एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है जिसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। वक्त बहस वकील

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रेस्पों. ने भी पत्रावली रिमाण्ड किये जाने पर सहमति जाहिर की। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 122/2021 बउनवान ईशाराम बनाम हनुमानराम में पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

3/9/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/9/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर